



☎: 01894-230383

Fax: 01894-230511

Email: registrar@hillagric.ac.in

संख्या. क्यू.एस.डी.8-28/2021/हि.प्र.कु.वि. (सा.प्र.)/- 10573-659  
दिनांक:

02 MAR 2023

प्रेषक

कुलसचिव

प्रेषित



1. समस्त संविधिक अधिकारी, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यलय, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
3. समस्त प्रभारी वैज्ञानिक/कार्यक्रम समन्वयक, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र /क्षेत्रीय अनुसंधान उप केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र, चौ0स0कु0हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय।


**विषय :** प्रशासन में राजभाषा के कार्यान्वयन बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में मुझे निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला से प्राप्त पत्र संख्या: भासनि-8/98-राजभाषा-8851 दिनांक 01.02.2023 की प्रति आप को भेजते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त पत्र द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें और हिन्दीकरण की त्रैमासिक रिपोर्ट (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर तथा अक्टूबर-दिसम्बर) विभाग को अवश्य भिजवाने की कृपा करें।

संलग्न: यथोपरि


भवदीय,

  
उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)  
चौ0स0कु0हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय,  
पालमपुर।

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : उपरोक्त

1. सह निदेशक सूचना एवं जन-संपर्क, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
2. सहायक/ उप कुलसचिव स्थापना/ शैक्षणिक /भर्ती शाखा, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय नैटवर्क सिस्टम, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को विश्वविद्यालय की वैवसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. कुलपति /कुलसचिव महोदय के निजी सचिव, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।

  
उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)  
चौ0स0कु0हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय,  
पालमपुर।



भाषा एवं संस्कृति विभाग,  
संस्कृति भवन, खण्ड-39, शि.वि.प्रा. परिसर,  
कसुम्पटी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09  
दूरभाष 0177-2626616, फैक्स, 0177-2628789,  
ई-मेल(अणुसंकेतक)-dir/culture@gmail.com,  
dir.hp@nic.in



संख्या: भासनि-8/98-राजभाषा- 5551  
सेवा में

दिनांक: 01/02/23

34 कुलपति, चौधरी  
हरिबल कुमार झा निरवाचिद्यालय  
पालमपुरा जिला सागरा कि प्र

विषय:  
महोदय,

प्रशासन में राजभाषा के कार्यान्वयन बारे।

आपको विदित ही है कि हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा को सरकारी कामकाज में बढ़ावा देने तथा इसके प्रयोग के आशय से सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 1975 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी, 1978 से प्रदेश में समस्त प्रशासनिक कार्य हिंदी के किए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कार्यालयों को समय-समय पर मार्गदर्शन तथा सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है।

हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में सशक्त माध्यम बनाने के प्रयोजन से हिंदी का सरल रूप बनाया जाना लोकहित में है क्योंकि आम आदमी बिना किसी कठिनाई के इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता है, जिससे हर नागरिक को सरकारी कामकाज में सुगमता रहती है। आम आदमी हिंदी भाषा को सरलता से समझ सकता है। प्रशासन में पारदर्शिता तभी सम्भव हो पाएगी जब प्रशासन का सभी कार्य सरल भाषा में हो परन्तु अभी भी बहुत सारा कार्य अंग्रेजी में ही किया जा रहा है जो अनुचित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए भविष्य में अपने कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य हिंदी में करें तथा हिंदीकरण की त्रैमासिक रिपोर्ट (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर तथा अक्टूबर-दिसम्बर) विभाग को अवश्य भेजें।

कुलपति

34

कुलपति  
4/20/23

Vice-Chancellor's Sectt.  
CUMHPRV, Dehra, or  
Dy. No. 552  
Date 22/2-2023

भवदीय

डॉ. पंकज ललित (हि.प्र.से.)

निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009



22/2/23



34 कुलपति (सं. 215)  
22/2/23

SAG  
2/23/2

